कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–2683 /FP/UK/ROAD/23612/2017 :देहरादूनः दिनांकः 27 मई, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–रूद्रप्रयाग में मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.005 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/20/2018/एफ0सी0/1638 दिनांकः–26.10.2020

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभगीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 5578/12–1 दिनांक 04.05.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण :**	
	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 8.01 हे0 ग्राम उनियाणा सिविल खसरा न0 973 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रतातियों के एकल प्लांटेशन से बचें।	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 8.01 हे0 ग्राम उनियाणा सिविल खसरा न0 973 में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रू0 27,00,844.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1)**
	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guidelie para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बार एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष तें हस्तान्तरणण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोपित	(ख) इस शर्त के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दोगुनी भूमि 4.689 है0 सिविल सोयम भूमि को जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा इस वन विभाग के नाम हस्तान्तरित एवं नामान्तरित कर दिया गया है। सम्बन्धित आदेश की प्रति व खसरा खतौनी की नकल की प्रति संलग्न है। **(सलंग्न–2)** एवं उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 4.689 हे0 सिविल भूमि को आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने का प्रस्ताव उच्च स्तर को पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

6

	किया जाना आवश्यक है।	
	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(ग) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा प्रेषित प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
4	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या–202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक–5–1/1998–एफ0सी0 (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0 सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007– एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **4.005 हे0** वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 04 (क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 1,04,36,445.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से उत्तरांचल कैम्पा के कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के वाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (ख) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है वढी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने सम्वन्धी वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–4)**
5	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार **197 trees** से अधिक नहीं होगी एंव पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
6	State Govt. will deposit the 5 times NPV of the 2.97 ha. as the area falls in sanctuary.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 2.97 है0 संरक्षित क्षेत्र का 5 गुना एन0पी0वी0 की धनराशि (2.97 ha X 5=14.85 ha X 6.57 lakh) = रू0 9756450.00 का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। **(संलग्नक–5)**
7	NBWL द्वारा दी गयी स्वीकृति अनुसार बुरांस एवं बांज के पेड़ वड़े वृक्ष (40-50 cm dia or more) नहीं काटे जाय।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त वन केवल ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोश प्रवन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानतरित/जमा किया जाएगा।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि केवल ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in) द्वारा चालान तैयार कर रू0 1,31,37,289.00 वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से उत्तरांचल कैम्पा के कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
9	गाइडलाइन्स में दिये गये दिशा–निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की एक प्रति कार्यालय को प्रेशित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इस की कड़ाई से निगरानी करेगी और यह	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	
10	एफ0आरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0 2006 का अनुपालन अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाए जाएगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वार मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से प्र्याप्त लकडी, विशेशतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	परियोजना कार्य के निस्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहल के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थितति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्तिको हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	इनमें से किसी भी भार्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा एवं प्र्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दि ाानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित भार्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिश्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनाव यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
24	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालयी/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
25	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 2683 /FP/UK/ROAD/23612/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गुप्तकाशी।

27/5/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.
Phone @ Fax No&01372252149 Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः—मान0 5578 /12-1 गोपेश्वर, दिनांक 04/05/2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

रो० 5475
15-5-23

विषय— जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग निर्माण नव हेतु 4.005 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/20/2018/एफ0सी0/1638 दिनांक 26—10—2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत करना है अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 ऊखीमठ द्वारा वन सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय निम्नानुसार उपलब्ध कराई गई है, जिसे 03 प्रतियों में अधिशाीसी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 के प्रत्र की छायाप्रति संहित प्रेषित की जा रही हैः—

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण— (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 8. 01 है॰ गैर वानिकी भूमि ग्राम उनियाणा सिविल खसरा संख्या 973 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहॉ तक व्यवहारिक हो स्थानीय स्वदेषी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचे।	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 8.01 हे0 अवनत सिविल सोयम भूमि उनियाणा पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू0 27,00,844.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा में जमा की जा चुकी है।**(संलग्नक—1 चालान की प्रति)**
	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पष्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। गाइडलाईन पैरा 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पष्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	(ख) जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग के आदेश संख्या 2179/छब्बीस—6/2020—21 दिनांक 12 फरवरी 2021 द्वारा उनियाणा के खसरा संख्या 973 में सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। प्रतिपूरक वनीकरण भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण / हस्तान्तरण किया गया है। **संलग्नकः—2— जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग के आदेश की प्रति एंव खतोनी की प्रति।**

	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्नक सं0–3 के रूप में संलग्न है। **संलग्नकः–3**
4	**शुद्ध वर्तमान मूल्य–** (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30–10–2002, 01–08–2003, 28–03–2008, 24–04–2008 एवं 09–05–2008 तथा मन्त्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ.सी. (pt-2) दिनांक 18–09–2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03–10–2006 एवं 5–3/2007 एफ.सी. दिनांक 05–02–2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.005 है. वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति की रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त संख्या 2 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि रू0. 10436445.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की गई है। प्रयोक्ता अभिकरण शर्त मान्य है शपथ पत्र सलग्न है। **संलग्नकः–4**
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा। जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 197 Trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सक्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया गया ।
6	State Govt. will deposit the 5 times NPV of the 2.97 ha. as the Area falls in Sanctuary.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 2.97 है. संरक्षित क्षेत्र का 5 गुना एन.पी.वी. की धनराशि (2.97 Ha X5=14.85Ha. X 6.57 lakh)= रु 9756450.00 का भुगतान वनविभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। **(आनलॉइन प्राप्ति रसीद सलंग्न)**
7	NBWL द्वारा दी गई स्वीकृति अनुसार बुरॉस एवं बॉज के पेड बडे वृक्ष (40–50cm dia or more) नही काटे जाय	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेगें।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है।
9	गाइडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है।

	कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जायेगी।	
10	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदण्डों के अनुसार सडक के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है।
12	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाऐ जायेगें।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्त्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना खण्ड द्वारा प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नही बदला जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है।
15	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है।
16	प्रयोजना अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषत: वैकल्पिक ईधन प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार खण्ड द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है।
18	परियोजना के निस्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है।
19	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य ऐजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है।

21	इनमें से किसी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देशानुसार फाइल सं॰ 11–42/2017–FC, दिनांक 29–01–2018 के अनुसार उक्त पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है।
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के सरंक्षण व विकास के हित में समय–समय पर लागू होने वाली निर्धारित शर्तों का खण्ड द्वारा अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगी कि वह आवश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वनविभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा एवं मलवा निस्तारण स्थलों में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है।
25	अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in) पर आॅनलाईन अपलोड की जायेगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (http ://pari vesh.nic .in) पर अपलोड की जा चुकी है।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या / दिनाँकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, गुप्तकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
Office of The Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath.
E-mail.- eepwd.ukh@gmail.com

पत्रांक 2961 /13सी० दिनांक 2/11/2022

सेवा में,

उपवन सरंक्षक
केदारनाथ, वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:— जनपद— रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.005 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/23612/2017)

सन्दर्भ:— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं० 8 बी०/यू०सी०पी०/06/20/2018/ एफ०सी०/1638 दिनांक 26—10—2020, आपका पत्रांक 2303/12—1 दिनांक 31—10—2022 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 606/13सी० दिनांक 04—03—2021।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा पूर्व में प्रेषित की गई है, एवं पुनः आख्या निम्नवत् प्रेषित हैः—

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जाएगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण— (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 8.01 है० गैर वानिकी भूमि ग्राम उनियाणा सिविल खसरा संख्या 973 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहाँ तक व्यवहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचे।	वन विभाग द्वारा अनुपालन किया जाना है।
	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। गाइडलाईन पैरा 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग के आदेश सं० 2197/छब्बीस—6/2020—21 दिनांक 12—02—2021 द्वारा 8.01 है० ग्राम—उनियाणा के खसरा संख्या 973 में सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। **(आदेश की प्रति व खतौनी की नकल सलंग्न है)।**

	(ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी॰ए॰ क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	वन विभाग द्वारा अनुपालन किया जाना है।
4	**शुद्ध वर्तमान मूल्य–** (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30–10–2002, 01–08–2003, 28–03–2008, 24–04–2008 एवं 09–05–2008 तथा मन्त्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ॰सी॰ (pt-2) दिनांक 18–09–2003, 5–2/2006–एफ॰सी॰ दिनांक 03–10–2006 एवं 5–3/2007 एफ॰सी॰ दिनांक 05–02–2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.005 है॰ वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति की रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	एन॰पी॰वी॰ की धनराशि मूल्य रु 10436445.00 का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। **(NEFT/RTGS प्राप्ति रसीद दिनांक 06–02–2021 सलंग्न हैं)** एन॰पी॰वी॰ के दरों में बढोत्तरी से सम्बन्धित बचनवद्धत्ता प्रमाण–पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ सं॰ 92 में संलग्न हैं **(पुनः सत्यापित छायाप्रति सलंग्न कर प्रेषित है।)**
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा। जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 197 Trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सक्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	खण्ड द्वारा समरेंखण चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है की मोटर मार्ग निर्माण में न्यूनतम वृक्षों का पातन हो एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 197 Trees का वन विभाग द्वारा छपान के पश्चात वन निगम से कटान ऑफरोड ढुलान हेतु प्राप्त डिमाण्ड नोट के अनुसार Transaction ID No. MI903422811211016 Date 24.11. 2021 द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम कर्णप्रयाग को ₹ 1854404.00 का भुगतान कोषागार के माध्यम से उनके बैंक खाता सं॰ 4726002100000297 में जमा किया जा चुका है।
6	State Govt. will deposit the 5 times NPV of the 2.97 ha. as the Area falls in Sanctuary.	खण्ड द्वारा 2.97 है॰ आरक्षित वनभूमि का 5 गुना एन॰पी॰वी॰ की धनराशि (2.97 Ha X5=14.85Ha. X 6.57 lakh)= रु 9756450.00 का भुगतान वनविभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। **(आनलॉइन प्राप्ति रसीद सलंग्न)**
7	NBWL द्वारा दी गई स्वीकृति अनुसार बुरॅास एवं बॉज के पेड बडे वृक्ष (40–50cm dia or more) नही काटे जायेगें।	खण्ड द्वारा मोटर मार्ग निर्माण के दौरान NBWL की स्वीकृति के अनुसार बुरॉश एवं बॉज के बडे वृक्ष (40–50cm dia or more) का पातन नही किया जायेगा।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण	खण्ड द्वारा समस्त देयको जैसे (क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव व एन॰पी॰वी॰ की निर्धारित

	फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेगें।	धनराशि) का भुगतान प्रभागीय वनाधिकारी गोपेश्वर से आकलन एवं मॉग पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in) online चालान Generate होने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही ₹ 13137289.00 का पूर्ण भुगतान वनविभाग के पक्ष में जमा कर दिया गया है। **(आर्नलाईन प्रति रसीद सलंग्न है)**
9	गाइडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जायेगी।	खण्ड द्वारा गाइडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार उल्लेखित कार्यो के अलावा कोई और गतिविधि नही की जायेगी।
10	एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	खण्ड द्वारा एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आई०आर०सी० मानदण्डों के अनुसार सडक के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा।	खण्ड द्वारा आई०आर०सी० मानदण्डों के अनुसार सडक के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाई जायेगी।
12	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाऐ जायेगें।	खण्ड द्वारा वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गतिविनियमन साइनेज लगाऐ जायेगें।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्त्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	लागू नही है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना खण्ड द्वारा प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना खण्ड द्वारा प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा।
15	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।	खण्ड द्वारा मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान वनभूमि में कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।
16	प्रयोजना अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईधन प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा दिया जायेगा।	प्रयोजना में कार्यरत श्रमिकों को वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोतो से प्रर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईधन प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा दिया जायेगा।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार खण्ड द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार खण्ड द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।
18	परियोजना के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	खण्ड द्वारा परियोजना के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।

	फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेगें।	धनराशि) का भुगतान प्रभागीय वनाधिकारी गोपेश्वर से आकलन एवं मॉग पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ई-पोर्टल (https://parivesh-nic.in) online चालान Generate होने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही ₹ 13137289.00 का पूर्ण भुगतान वनविभाग के पक्ष में जमा कर दिया गया है। **(आर्नलाईन प्रति रसीद सलंग्न है)**
9	गाइडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जायेगी।	खण्ड द्वारा गाइडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार उल्लेखित कार्यो के अलावा कोई और गतिविधि नही की जायेगी।
10	एफ॰आर॰ए॰ 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	खण्ड द्वारा एफ॰आर॰ए॰ 2006 का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आई॰आर॰सी॰ मानदण्डों के अनुसार सडक के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा।	खण्ड द्वारा आई॰आर॰सी॰ मानदण्डों के अनुसार सडक के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाई जायेगी।
12	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाऐ जायेगें।	खण्ड द्वारा वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गतिविनियमन साइनेज लगाऐ जायेगें।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्त्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	लागू नही है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना खण्ड द्वारा प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नही बदला जायेगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना खण्ड द्वारा प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नही बदला जायेगा।
15	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।	खण्ड द्वारा मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान वनभूमि में कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।
16	प्रयोजना अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईधन प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा दिया जायेगा।	प्रयोजना में कार्यरत श्रमिकों को वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोतो से प्रर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईधन प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा दिया जायेगा।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार खण्ड द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार खण्ड द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।
18	परियोजना के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	खण्ड द्वारा परियोजना के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।

19	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	वनभूमि का उपयोग खण्ड द्वारा परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य ऐजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही किया जायेगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना खण्ड द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य ऐजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही किया जायेगा।
21	इनमें से किसी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देशानुसार फाइल सं॰ 11–42/2017–FC, दिनांक 29–01–2018 के अनुसार उक्त पर कार्यवाही होगी।	उपरोक्त स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का खण्ड द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के सरंक्षण व विकास के हित में समय–समय पर लागू होने वाली निर्धारित शर्त्तों का खण्ड द्वारा अनुपालन किया जायेगा।	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के सरंक्षण व विकास के हित में समय–समय पर लागू होने वाली निर्धारित शर्त्तों का खण्ड द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगी कि वह आवश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वनविभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा एवं मलवा निस्तारण स्थलों में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	खण्ड द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर मलवे का निस्तारण प्रस्ताव में सलंग्न Muck Disposal Plan के अनुसार ही किया जायेगा तथा निस्तारण स्थलों को वनविभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा एवं मलवा निस्तारण स्थलों में वृक्षों का पातन नही किया जायेगा।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायलय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना खण्ड की जिम्मेदारी होगी।
25	अनुपालन रिर्पाट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in) पर आॅनलाईन अपलोड की जायेगी।	खण्ड द्वारा अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in) पर आॅनलाईन अपलोड की जायेगी।

भवदीय,
(हस्ताक्षर) 04/11/2022

सलंग्नः– 1– जिलाधिकारी के आदेश की प्रति 3 प्रतियों में।
2– एन॰पी॰वी॰ की दरों में बढोत्तरी से सम्बन्धित वचनबद्वत्ता का प्रमाण–पत्र 3 प्रति में।
3– आॅनलाईन प्राप्ति रसीद 3 प्रति में।

(इं॰ मनोज कुमार भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।
दिनांक 2/11/2022

पत्रांक 2961/13सी॰
प्रतिलिपि जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰,
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)।

92
94

प्रपत्र-51

परियोजना का नामः– जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्ड़ार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

एन.पी.वी. की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 11-01-2021

Agency Name.	EECDPWDUKM
Application No.	6123612477
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/20/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, PWD UKHIMATH, RUDRAPRAYAGRudraprayag
Amount(in Rs)	13137289/-

Amount in Words :One Crore Thirty-One Lakh Thirty-Seven Thousand Two Hundred and Eighty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896123612477 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies

Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

State Bank of India, Ukhimath-02498, P.F. No. ... 06 FEB 2021 PAID

PTN-

Executive Engineer
Const.Div. P.W.D
Ukhimath (Rudrapryag)

UTR

P.C. Attested

Assistant Engineer
Const.Div. P.W.D
Ukhimath (Rudrapryag)

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 ऊखीमठ के द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु गैर वानिकी कार्यों हेतु वन विभाग को दोगुने भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया गया है। शासनादेश संख्या–2847111–2/05–79(प्रा0आ0/05(15) दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 के द्वारा उक्त मोटर मार्ग निर्माण की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त प्रकरण पर तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी ऊखीमठ ने अपने पत्र संख्या–1395/र0का0–क्षति0वृ0/(2020–21) दिनांक 18 जनवरी, 2021 के द्वारा अवगत कराया है कि तलसारी तोक से गौण्डार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.005 है0 वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कालीमठ के अन्तर्गत राजस्व ग्राम उनियाणा की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या– 22 के खसरा सं0 973 रकवा 8.086 है0 मध्ये 8.010 है0, भूमि चयनित कर चयनित भूमि का नक्शा, खसरा वं खतौनी की नकल प्रस्तुत कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/ नामान्तरित किये जाने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

अतः शासनादेश संख्या– 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये, तहसीलदार/ उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ द्वार राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कालीमठ के अन्तर्गत राजस्व ग्राम उनियाणा की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या– 22 के खसरा सं0 973 रकवा 8.086 है0 मध्ये 8.010 है0, चयनित भूमि उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/ नामान्तरित एवं अमलदरामद करने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दिनांक–10–02–2021

ह0/–
(मनुज गोयल)
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या–2197 /छब्बीस–6 /2020–21/ दिनांकः रूद्रप्रयागः फरवरी, 12 2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्द्रानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव राजस्व विभाग अनुभाग–02 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–04 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– आयुक्त, गढवाल मण्डल पौड़ी।
6– उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
7– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार ऊखीमठ को उक्तानुसार कार्यवाही कर शीघ्र खतौनी की नकल कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
8– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, ऊखीमठ।

अपर, जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

Assistant Engineer
Const.Div. P.W.D

प्रपत्र-8

परियोजना का नाम:– जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्ड़ार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र 1:50,000

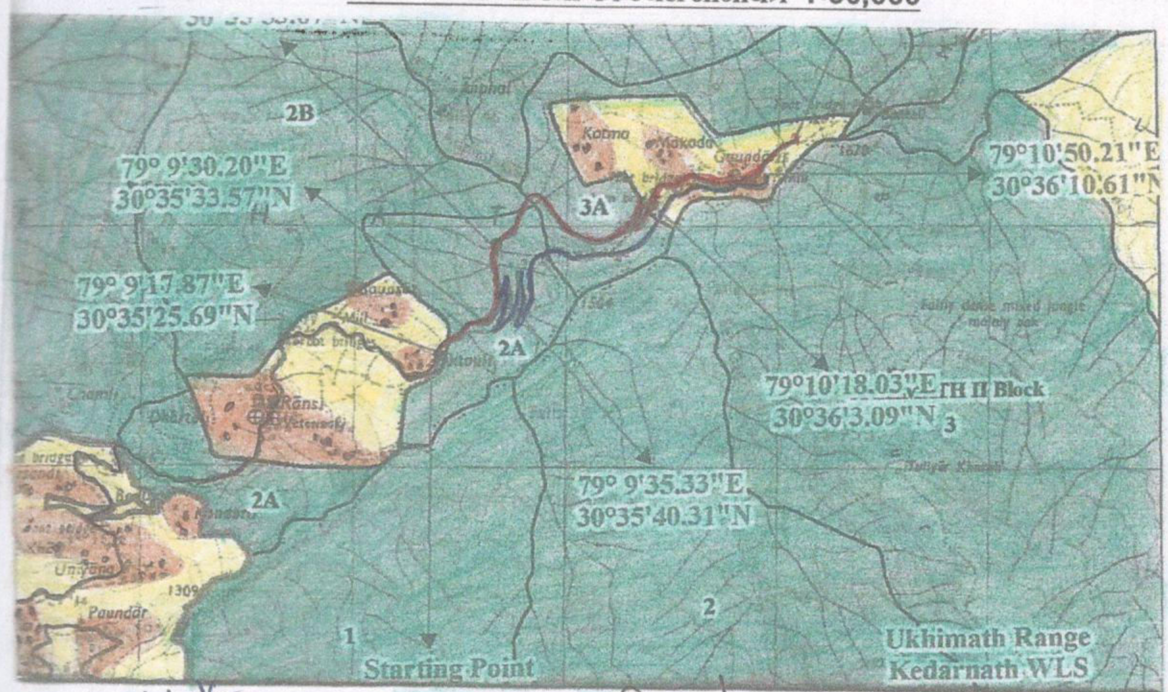

अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

राजस्व उप निरीक्षक

1	प्रस्तावित मोटर मार्ग	
2	वैकल्पिक संरेखण	
3	मुख्य मोटर मार्ग	
4	आरक्षित वन भूमि	
5	पंचायती वन भूमि	शून्य
6	राज्य भूमि	
7	नाप भूमि	
8	आबादी क्षेत्र	
9	नदी एंव नाला	

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

तहसीलदार

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ
उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
गुप्तकाशी

उपप्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

[illegible] जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

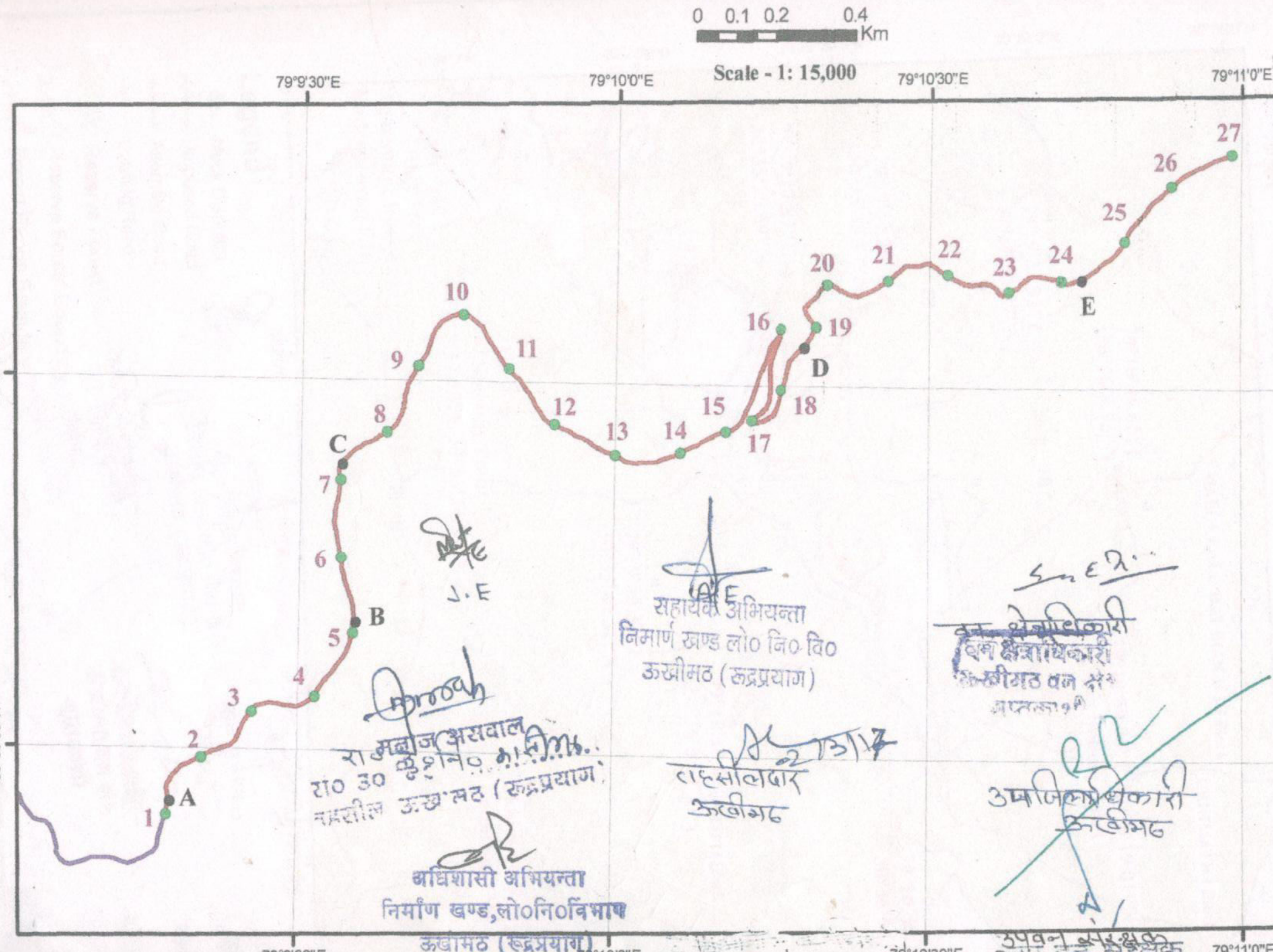

ID	Longitude	Latitude
1	79° 9' 17.574" E	30° 35' 24.607"
2	79° 9' 20.787" E	30° 35' 29.262"
3	79° 9' 25.525" E	30° 35' 32.993"
4	79° 9' 31.484" E	30° 35' 34.283"
5	79° 9' 35.036" E	30° 35' 39.461"
6	79° 9' 33.908" E	30° 35' 45.600"
7	79° 9' 33.695" E	30° 35' 51.864"
8	79° 9' 38.051" E	30° 35' 55.755"
9	79° 9' 40.975" E	30° 36' 1.161" N
10	79° 9' 45.155" E	30° 36' 5.339" N
11	79° 9' 49.619" E	30° 36' 1.039" N
12	79° 9' 54.046" E	30° 35' 56.603"
13	79° 9' 59.950" E	30° 35' 54.219"
14	79° 10' 6.098" E	30° 35' 54.524"
15	79° 10' 10.530" E	30° 35' 56.244"
16	79° 10' 15.772" E	30° 36' 4.507" N
17	79° 10' 12.968" E	30° 35' 57.240"
18	79° 10' 15.764" E	30° 35' 59.647"
19	79° 10' 19.108" E	30° 36' 4.728" N
20	79° 10' 20.073" E	30° 36' 8.175" N
21	79° 10' 25.988" E	30° 36' 8.570" N
22	79° 10' 31.722" E	30° 36' 9.087" N
23	79° 10' 37.587" E	30° 36' 7.756" N
24	79° 10' 42.664" E	30° 36' 8.664" N
25	79° 10' 48.837" E	30° 36' 11.869"
26	79° 10' 53.279" E	30° 36' 16.344"
27	79° 10' 59.039" E	30° 36' 19.019"
	Muck Disposal	
A	79° 9' 17.870" E	30° 35' 25.690"
B	79° 9' 35.330" E	30° 35' 40.310"
C	79° 9' 33.920" E	30° 35' 53.070"
D	79° 10' 18.030" E	30° 36' 3.090" N
E	79° 10' 44.648" E	30° 36' 8.730" N

J.E

सहायक अभियन्ता
निमार्ण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र

मनोज असवाल
रा० उ० कु०नि० अधि०
तहसील ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

तहसीलदार
ऊखीमठ

उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग,

Legend

- ● Muck Disposal
- ● Mroad GPS Coordinates
- —— Proposed Road
- —— Existing Road

डिजिटल मैप – जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

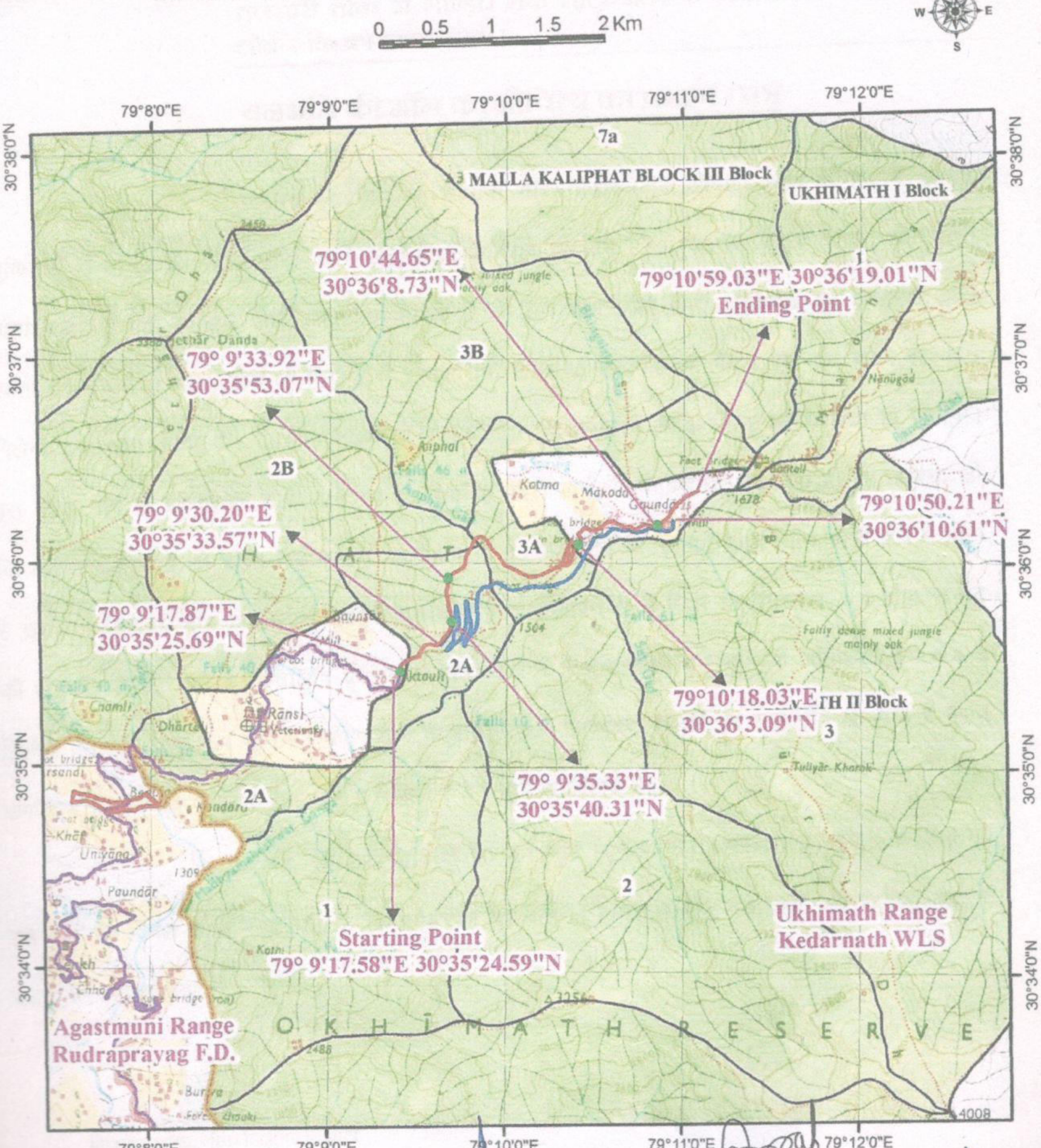

Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

J.E

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

रा० उ० नि०
कालीमठ

तहसीलदार
ऊखीमठ

उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
गुप्तकाशी

उप वन संरक्षक

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०विभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर (चमोली)

जिलाधिकारी